UPMH010031752026

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1, महराजगंज।</u>

उपस्थितिः–संजय मिश्र, उच्चतर न्यायिक सेवा, (जे0 ओ 0 कोड यू0 पी0 6257)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–978/2026

जलालुद्दीन पुत्र स्व 0 गुलाब उम्र करीब 26 वर्ष साकिन मौजा–कुआचांप, थाना पनियरा, जिला महराजगंज।

....आवेदक /अभियुक्त

बनाम

उ 0 प्र 0 राज्य

.....विपक्षी

अपराध सं०–189/2026
धारा 317(2), 303(2) बी.एन.एस.
थाना–श्यामदेउरवा, जिला महराजगंज।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 3 क</u>

23.07.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **जलालुद्दीन** की ओर से मुअपराध सं०–189/2026 अन्तर्गत धारा 317(2), 303(2) बी.एन.एस. थाना–श्यामदेउरवा, जिला–महराजगंज में जमानत हेतु संस्थित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– अभियोजन केस संक्षेप में इस प्रकार है कि "वादी 10–12 दिन पहले अपने मित्र परशुराम कि HF DELUX वाहन दो पहिया संख्या UP 56 V 1996 से पुरैना चौराहे पर बजार करने गया था कि अज्ञात चोर द्वारा वाहन संख्या UP 56 V 1996 को चुरा लिया गया।"

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि "प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा कोई भी जुर्म कारित नहीं किया है। उपरोक्त तथाकथित घटना अज्ञात में दर्ज है जिसमें थाना श्यामदेउरवां की पुलिस अपनी कारगुजारी पूर्ति हेतु प्रार्थी/अभियुक्त को महज हैरान व परेशान करने की गरज से फर्जी तरीके से अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अत्यन्त गरीब व पढ़ा–लिखा नहीं है। प्रार्थी को थाना श्यामदेउरवां की पुलिस थाना पनियरा की पुलिस से मिल जुलकर उक्त अपराध में अभियुक्त बनाकर व फर्जी बरगदगी दिखाकर जेल भेज दी गयी है। उपरोक्त अपराध सख्या अज्ञात मे दर्ज है तथा उक्त अपराध सख्या मेंचोरी हुई मोटरसाईकिल सख्या UP 56V 1996 को किस व्यक्ति ने घटना स्थल से चोरी किया है इसके सन्दर्भ में कोई चक्षुदर्शी साक्षी भी नहीं है और न ही घटना स्थल के आस–पास के सी०सी०टी०वी० कैमरे की फुटेज ही पुलिस द्वारा एकत्र किया गया है, जबकि घटना स्थल पुरैना चौराहे की है। प्रार्थी/अभियुक्त न तो वाहन सख्या– UP

56 V 1996 को चुराया है और न ही चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त किया है। यह कि बरामदशुदा मोटरसाईकिल पुलिस अज्ञात में बरामद की थी तथा अपनी कारगुजारी पूर्ति करने हेतु प्रार्थी को फर्जी तौर पर अभियुक्त बनाकर जेल भेज दी है। प्रार्थी/अभियुक्त अपने घर का तनहा व गरीब व्यक्ति है जिसके जेल में निरूद्ध रहने से उसके परिवार के लोग भूखमरी के कगार पर आ जायेगे। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध थाना पनियरा में मु०अ०सं०–190/2026 दर्ज है तथा उसी मे वाहन सख्या UP 56 V 1996 को पुलिस द्वारा बरामद होना बताया गया है तथा उसी के आधार पर प्रार्थी को उक्त मुकदमें में लाकर जेल भेज दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त का माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रथन जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके पूर्व न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो दाखिल है न तो खारिज है और न ही लम्बित ही है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत बाद दौरान विचारण न्यायालय का पूरजोर सहयोग करेगा और जमानत बाद किसी साक्षी को डरायेगा, धमकायेगा नहीं तथा माननीय न्यायालय के समस्त आदेशों का अक्षरशः पालन करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त उचित और स्थानीय प्रतिषु देने को तैयार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को जमानत व मुचलका पर रिहा करने की कृपा करे।"

4– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया तथा अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

5– उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि उक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर वादी की HF DELUX वाहन दो पहिया संख्या UP 56 V 1996 चोरी करने व उक्त मोटरसाइकिल उसके पास से बरामद होने का आरोप है। अतः यह मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। इन सभी तर्को के साथ जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

6– मैंने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों का केस डायरी व थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया।

7– जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों का केस डायरी व थाने से प्राप्त आख्या के परिशीलन से विदित है कि अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर वादी की HF DELUX वाहन दो पहिया संख्या UP 56 V 1996 चोरी करने व उक्त मोटरसाइकिल उसके पास से बरामद होने का आरोप है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि "प्रस्तुत मामले में घटना तहरीर के 10–12 दिन पहले की दर्शायी गयी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दिनांक 24.06.2026 को 18.55 बजे अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध सात वर्ष से अनाधिक समय के कारावास से दंडनीय है तथा सभी धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षीणीय हैं। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 30.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अपराध के गुण दोष पर गये बिना मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस मत का है कि आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

8– आवेदक/अभियुक्त **जलालुद्दीन** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपये (पचास हजार रुपये) का निजी बन्धपत्र एवं समान राशि के दो जमानतें संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो के साथ जमानत पर अवमुक्त किया जाएः–

(i). यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

(ii). यह कि आवेदक/अभियुक्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के गवाहान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा और न ही उनको किसी प्रकार की कोई धमकी आदि देगा।

(iii). आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा और बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत देश छोड़कर नहीं जायेगा।

9– उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का आवेदक/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किये जाने पर उसका यह जमानत आदेश सम्बन्धित न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

दिनांकः23.07.2026

(संजय मिश्र)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–1, महराजगंज
UPID–6257